तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

अर्जुन वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार
दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 228/2007 बी.टी. नम्बर 53/2018

19.05.18 पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से क्षैत्राधिकार के आधार पर स्थानान्तरित होने पर आज न्याय आपके द्वार अभियान –2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प सॉवलपुरा तॅवरान में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण बाबत दुरूस्ती रिकार्ड से सम्बन्धित है। जिसमें वादीगण द्वारा अपने पिता धन्नाराम पुत्र मंगला जाट के ग्राम हाथीदेह में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1511, 1513 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हैक्टर में वादीगण के पिता का नाम धन्ना पुत्र मंगला दर्ज है तथा वादीगण के पिता के नाम से अन्य जमीन खसरा नम्बर 1046 से 1050 कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हैक्टर वाके ग्राम जुगलपुरा के 1/2 हिस्से की खातेदारी में वादीगण के पिता का गलत नाम गोदा दर्ज कर दिया गया। वादीगण का पिता धन्ना मंगला का पुत्र है। जो मतदाता सूचि, परिवार राशन कार्ड इत्यादि में वादीगण के पिता का नाम धन्ना पुत्र मंगला दर्ज है। ग्राम जुगलपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 पुरानी 108 व नयी 162 केवट खतौनी संख्या है। इसमें धन्ना पुत्र गोदा गलत दर्ज कर दिया जो दुरूस्त किया जाकर धन्ना पुत्र मंगला दर्ज किया जाने हेतु वादपत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड का पेश

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

अर्जुन वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार
दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 228/2007 बी.टी. नम्बर 53/2018

किया गया है। इसलिए वादीगण ने पिता धन्नाराम पुत्र गोदा के स्थान पर धन्ना पुत्र मंगला दुरूस्त कराने हेतु वादपत्र पेश किया गया है।

हमने उपस्थित वादीगण को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061, 2049 से 2052, नामान्तकरण संख्या 123 ग्राम जुगलपुरा, पंचायत मतदाता सूचि वर्ष 1994, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पचांयत हाथीदेह द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थी शिम्भुराम का स्वंय का शपथ पत्र, साक्ष्य वादी गवाह में मालाराम व नाथूराम द्वारा पेश शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1046 से 1050 कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हैक्टर वाके ग्राम जुगलपुरा में वादीगण के पिता धन्ना पुत्र मंगला के स्थान पर धन्ना पुत्र गोदा गलत दर्ज कर दिया गया। जिसे लोक अदालत की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम जुगलपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1046 से 1050 कुल किता 5 कुल रकबा 1.51 हैक्टर में वादी के पिता धन्ना पिता गोदा के स्थान पर धन्ना पिता मंगला राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

अर्जून वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार
दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 228/2007 बी.टी. नम्बर 53/2018

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्पः– सावंलपुरा तॅवरान के अटल सेवा केन्द्र पर मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)
कैम्पः– सॉवलपुरा तॅवरान

Scanned by CamScanner